झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
द्वितीय (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 06.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री कमलेश कुमार सिंह स0वि0स0	झारखण्ड सरकार ने विषम भौगोलिक बनावट, सिंचाई एवं पेयजल की कमी जंगलों का ह्रास, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण, सामाजिक संकेतांक तथा मानव विकास सूचकांक व अन्य पिछड़ेपन के कारण राज्य के 13 अनुसूचित जिलों साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, चूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पं0 सिंहभूम और सरायकेला खरसावाँ के स्थानीय निवासियों को जिला-स्तर के वर्ग 3 व 4 के शत प्रतिशत पदों पर 10 वर्षों के लिए नियुक्तियों आरक्षित की गई है। जबकि राज्य के शेष 11 के अनुसूचित जिले पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर और गोड्डा में उक्त प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जबकि 11 गैर अनुसूचित जिलों में भी भौगोलिक बनावट, पेयजल की कमी, जंगलों का ह्रास, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक मातृत्व मृत्यु दर तथा अन्य	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
		सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति 13 अनुसूचित जिलों की ही तरह है। मैं उक्त ध्यानाकर्षण के माध्यम से झारखण्ड प्रदेश के 13 अनुसूचित जिलों के तरह 11 गैर अनुसूचित जिले में नियुक्ति हेतु उसी जिले के निवासियों के लिए शत प्रतिशत आरक्षित करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
02-	सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0	पकरी बरवाडीह तथा केरेडारी चट्टी बारियातु कोल खनन परियोजना हजारीबाग में एनटीपीसी द्वारा पुराने अधिनियम के तहत् मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है जिससे बड़कागाँव तथा केरेडारी अंचल के 40 गाँव के लगभग तीस हजार लोग प्रभावित है। भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश 2015 के आलोक में भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपधारा 24 (2) एवं धारा 24 (2) के परंतुक के तहत रैयतों को मुआवजा का भुगतान एवं अन्य लाभ एनटीपीसी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। सदन के माध्यम से माँग करती हूँ कि भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपधारा 24(2) एवं धारा 24(2) के परंतुक के तहत् रैयतों को मुआवजा का भुगतान एवं सभी लाभ उपलब्ध कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ।	राजस्व एवं भूमि सुधार
03	श्री वैद्यनाथ राम स0वि0स0	लातेहार जिला अन्तर्गत प्रखण्ड बालूमाथ मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) का निर्माण कार्य लगभग 15 वर्षो से लम्बित है। इस बीच उस निर्माण में दो-दो संवेदक बदलने के बावजूद	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		भी अभी तक निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है जिससे-हजारो ग्रामीण मरीजो को चिकित्सीय सुविधा नही मिल पा रही है। अतएव उपर्युक्त निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य यथाशीर्घ प्रारम्भ कराया जाय और दोषी संवेदकों को काली सूची में डालते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय। इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	
04-	डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0 श्री इन्द्रजीत महतो स0वि0स0	झारखण्ड सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन कार्यरत उपक्रम तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में वर्त्तमान लगभग 560 कॉन्ट्रेक्ट लेबर लगभग 150 ब्रेक डाउन श्रमिक एवं अन्य श्रमिक वर्ष 1995 से कार्यरत हैं किन्तु उन्हे अब तक स्थायी नहीं किया गया है। इसके वपरीत T.T.P.S. प्रबंधन द्वार बिना रोस्टर के राज्य सरकार द्वारा लागू स्थानीय नीति/आरक्षण नीति का पालन किये बिना 102 कर्मचारियों/पदाधिकारियों की अनियमित तरीके से नियुक्ति की गई जिसमें स्थानीय विस्थापितों को प्राथमिकता भी नहीं दी गई साथ ही आज तक कार्यरत श्रमिकों को E.S.I.C. कार्ड निर्गत नहीं किया गया है जिससे सैकड़ों श्रमिक वर्षो से चिकित्सा लाभ से वंचित हो रहे हैं। आज तक किसी भी श्रमिकों या आश्रितों को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है। श्रम विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में परिवर्त्तनशील मँहगाई भत्ते के बकाया राशि का भुगतान भी नहीं हो रहा है तथा न तो बकाया V.D.A का भुगतान हो रहा है। जबकि कई संवेदकों को वर्षो से लागातार अनियमित तरीके से कार्य भी आवंटित किया जा रहा है जिनके द्वारा श्रमिकों का शोषण भी हो रहा है, क्योंकि श्रमिकों के मजदूरी से कटौती की अंशदान का भी कोई लेखा-जोखा नहीं है।	ऊर्जा

01.	02.	03.	04.
		अतः मैं सरकार से उपर्युक्त अनियमितताओं की जाँच करने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने एवं श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की मांग करता हूँ।	
05	श्री जय प्रकार भाई पटेल स0वि0स0 श्री बिरंची नारायण स0वि0स श्री अमित कुमार मंडल	रामगढ़ जिला के प्रखण्ड-माण्डू अन्तर्गत संचालित भारत सरकार के कई महत्त्वपूर्ण इकाई यथा सी0सी0एल0, टिस्को औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा बड़े पैमाने पर गैर-मजरूआ खास भूमि का अधिग्रहण किया गया है जिसमें सही रैयतो को लाभ न देकर भू-माफियाओं विभागीय पदाधिकारी तथा सफेदपोशों के द्वारा फर्जी दस्तावेज पर भूमि सत्यापन कराकर मुआवजा तथा नौकरी हड़प ली गई है एवं आज भी यह प्रक्रिया जारी है। अतः रामगढ़ जिला के माण्डू प्रखण्ड अन्तर्गत गैर-मजरूआ भूमि का किए गए सत्यापन की जाँच कराकर किये गये फर्जीवाड़े के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते है।	राजस्व एवं भूमि सुधार

राँची,
दिनांक- 06 मार्च, 2020 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-820/वि0 स0, राँची, दिनांक- 05/03/2020
प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं ऊर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/2020
(विष्णु पासवान)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-820/वि0 स0, राँची, दिनांक- 05/03/2020
प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

05/03/2020
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-